मसौदा

पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड
(यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन) योजना, 2021

प्रस्तावना :

जबकि, पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड एक बहु-राज्य अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक है जो बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) के तहत पंजीकृत है और भारत में बैंकिंग का व्यवसाय करता है;

और जबकि, सितंबर 2019 में पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में कुछ धोखाधड़ी का पता चलने और परिणामी निरीक्षणों के बाद, उस बैंक की पूंजी के पूर्ण क्षरण और पर्याप्त मात्रा में जमा क्षरण सहित अनिश्चित वित्तीय स्थिति का पता चला;

और जबकि, रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक के उपलब्ध संसाधनों का दुरुपयोग या दिशा परिवर्तन नहीं किया जाए, 23 सितंबर 2019 के कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को 'सर्वसमावेशी निदेश' जारी किया;

और जबकि, यह पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बोर्ड के स्तर पर प्रबंधन की विफलता का मामला था, रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36एएए की उप-धारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 23 सितंबर, 2019 को बैंक के निदेशक मंडल को हटा दिया और उसके स्थान पर एक प्रशासक की नियुक्ति की;

और जबकि, जनहित में या जमाकर्ताओं के हित में या बैंकिंग कंपनी के प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए यदि यह आवश्यक समझा जाता है तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकिंग कंपनियों (जिसमें सहकारी बैंक शामिल हैं) के पुनर्निर्माण या समामेलन की योजना तैयार करने का अधिकार देती है;

और जबकि, भारतीय रिजर्व बैंक इस निर्णय पर पहुंचा है कि पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की वर्तमान स्थिति समामेलन की योजना तैयार करने की मांग करती है;

और जबकि, प्रमोटर के रूप में सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने, 'संयुक्त निवेशक' के रूप में रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर फरवरी 2021 के महीने में प्रवर्तकों द्वारा पंजीकृत किए जानेवाले नए लघु वित्त बैंक के साथ समामेलन की एक उपयुक्त योजना के माध्यम से पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड का अधिग्रहण करने में रुचि व्यक्त की थी।

और जबकि, उपरोक्त उद्देश्य के अनुसरण में, 12 अक्टूबर, 2021 को संयुक्त निवेशक' के रूप में सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ रेसिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के तहत बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया गया था।

और जबकि, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 1 नवंबर, 2021 से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (सी) के तहत बैंकिंग का कारोबार शुरू कर दिया है।

और जबकि, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रमोटर संयुक्त निवेशक के साथ मिलकर 1 नवंबर 2021 को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में रु.1105.10 करोड़ की पूंजी जुटाई है।

इसके अलावा, 1 नवंबर 2021 को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा कुल 8 वर्षों की अवधि के भीतर कभी भी प्रयोग किए जाने वाले 1900 करोड़ रुपये के इक्विटी वारंट प्रमोटरों को और पूंजी लाने के लिए जारी किए गए हैं।

इसलिए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 45 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक निम्नलिखित योजना बनाता है:

अध्याय - I
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त शीर्ष और प्रारंभ**:

(i) इस योजना को 'पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड (यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन) योजना, 2021' कहा जाएगा।

(ii) यह उस तारीख को लागू होगा जिस दिन केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

2. **परिभाषा:**

(i) इस योजना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "**अधिनियम**" का अर्थ है बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10);

(ख) "**नियुक्त तिथि**" का अर्थ वह तिथि है जिसे केंद्र सरकार पैराग्राफ 1 के उप-पैरा (ii) के तहत निर्दिष्ट कर सकती है;

(ग) "**आस्ति खाता**" का अर्थ है योजना के पैराग्राफ 5 के उप-पैरा (ii) के अनुसार खोला गया एक काल्पनिक खाता, जिसका उद्देश्य योजना में प्रदान किए गए हस्तांतरणकर्ता बैंक की देनदारियों के समय-समय पर समायोजन के बाद अधिशेष या कमी का पता लगाना है;

(घ) "**पात्र जमाकर्ता**" का अर्थ उन जमाकर्ताओं से है जिनकी जमा राशि जमा और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) के तहत बीमाकृत है;

(ङ) "**संस्थागत जमाकर्ताओं**" का अर्थ निगमों, कंपनियों, समितियों, व्यक्तियों के संघ, ट्रस्टों और अन्य सभी जमाकर्ताओं से है जो खुदरा जमाकर्ता नहीं हैं;

(च) "**खुदरा जमाकर्ता**" का अर्थ उन जमाकर्ताओं से है जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में बैंक में जमा राशि रखते हैं, या तो अकेले या संयुक्त रूप से अन्य व्यक्तियों के साथ, और स्वामित्व फर्म, साझेदारी फर्म और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) शामिल हैं।;

(छ) "**रिज़र्व बैंक**" का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका गठन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के तहत किया गया है।

(ज) "**योजना**" का अर्थ है 'पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड (यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन) योजना, 2021';

(झ) "**हस्तांतरणकर्ता बैंक**" का अर्थ है 'पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड', एक बहु-राज्य अनुसूचित सहकारी बैंक जिसका पंजीकृत कार्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है;

(ञ) "**हस्तांतरिती बैंक**" का अर्थ है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (कंपनी अधिनियम 2013 के तहत भारत में निगमित कंपनी और जिसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है)

(ii) यहां प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्द और अभिव्यक्ति, लेकिन अधिनियम में वे

परिभाषित किए गए हैं तो उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में दिया गया है।

अध्याय - II

कारोबार, परिसंपत्तियों, आस्तियों और देयताओं का हस्तांतरण

3. आस्तियों और देयताओं का हस्तांतरण और उसका सामान्य प्रभाव:

(i) नियत तारीख को और उसके बाद से, अंतरणकर्ता बैंक का उपक्रम हस्तांतरिती बैंक में हस्तांतरित और निहित हो जाएगा, जिसमें सभी व्यवसाय, आस्तियां (मूर्त और अमूर्त सहित), स्थावर-सम्पदा, अधिकार, शीर्षक, ब्याज, शक्तियां, दावे, लाइसेंस, प्राधिकरण, परमिट, अनुमोदन, अनुमति, प्रोत्साहन, ऋण, सब्सिडी, रियायतें, अनुदान, स्वतंत्रता, विशेष स्थिति और अन्य विशेषाधिकार तथा सभी चल और अचल संपत्ति, वास्तविक और व्यक्तिगत, मूर्त और अमूर्त, सद्भावना, कॉपीराइट, नकद शेष, पूंजी, आरक्षित निधि, निवेश, डेरिवेटिव में लेनदेन और ऐसी संपत्ति में या उससे उत्पन्न होने वाले अन्य सभी अधिकार और ब्याज और बौद्धिक संपदा आदि के तहत सभी अधिकार, कब्जे या आरक्षण में, वर्तमान या आकस्मिक रूप से जो भी प्रकृति का हो और जहां भी स्थित हो (चाहे भारत के भीतर या बाहर), जिसमें भूमि, वाणिज्यिक या आवासीय परिसर, फिक्स्चर, वाहन, नकद शेष, जमा, विदेशी मुद्रा, प्रकट और अप्रकट भंडार, आरक्षित निधि, विशेष आरक्षित निधि, कोई अन्य निधि, स्टॉक, निवेश, शेयर, लाभांश, बांड, डिबेंचर, प्रतिभूति, किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान का प्रबंधन, किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान को ऋण, अग्रिम और गारंटी, अन्य किरायेदारी, पट्टों और बही-ऋणों और इस योजना की शुरुआत ठीक पहले इस वचननामा के संबंध में हस्तांतरणकर्ता बैंक की ऐसी संपत्ति से उत्पन्न होने वाले अन्य सभी अधिकार और ब्याज, चाहे वह भारत में अंतरणकर्ता बैंक के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में है, और सभी खातों, रजिस्टरों, अभिलेखों और उससे संबन्धित किसी भी स्वरूप के अन्य सभी दस्तावेज और उस समय हस्तांतरणकर्ता बैंक की बहियों और रिकॉर्ड में मौजूद, वचननामा के संबंध में किसी भी शुल्क, भार, ग्रहणाधिकार या सुरक्षा के साथ, प्रतिभूतित हो या गैर-प्रतिभूतित, भारत के भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के सभी उधार, देनदारियां, कर्तव्य और दायित्व शामिल है ऐसा समझा जाएगा।

(ii) जब तक योजना में स्पष्ट रूप से अन्यथा उल्लेख नहीं किया जाता, सभी अनुबंध, विलेख, बांड, समझौते, मुख्तारनामा, कानूनी अभ्यावेदन की मान्यताएं और किसी भी प्रकृति के अन्य उपकरण जो नियत तारीख से तुरंत पहले मौजूद हैं या प्रभावी हैं, उसीप्रकार और उसी तरीके से प्रभावी होंगे बशर्तेकि हस्तांतरिती बैंक के पक्ष में या उसके विरुद्ध दिया गया हो और हो सकता है कि हस्तांतरणकर्ता बैंक के बजाय, हस्तांतरिती बैंक उसका एक पक्ष हो या मानो वे हस्तांतरिती बैंक के पक्ष में जारी किए गए हों और इसमें किसी तीसरे पक्ष या अन्य व्यक्ति जो इस उप-पैराग्राफ के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए उपरोक्त किसी भी उपकरण या व्यवस्था का एक पक्ष है की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(iii) यदि नियत तारीख पर किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण या मध्यस्थ या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष हस्तांतरणकर्ता बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई, मुकदमा, डिक्री, वसूली प्रमाण पत्र, अपील या अन्य कार्यवाही लंबित है, तो उसे समाप्त, बंद नहीं किया जाएगा या किसी भी तरह से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा, लेकिन योजना के अन्य प्रावधानों के अधीन, हस्तांतरिती बैंक द्वारा या उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा और लागू किया जाएगा।

बशर्ते कि जहां किसी संविधि या उसके तहत बनाए गए किसी नियम, विनियम, निर्देश या

आदेश के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया गया हो, या नियत तारीख से पहले हस्तांतरणकर्ता बैंक के किसी निदेशक या सचिव, प्रबंधक, अधिकारी के खिलाफ अपराध के लिए कोई कार्यवाही की गई हो तो ऐसे निदेशक, सचिव, प्रबंधक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के खिलाफ ऐसे कानून के तहत कार्यवाही की जा सकती है और तदनुसार दंडित किया जाएगा जैसे कि हस्तांतरणकर्ता बैंक को समामेलित नहीं किया गया हो।

(iv) हस्तांतरणकर्ता बैंक के पक्ष में या उसके लाभ के लिए बनाया गया कोई भी प्रतिभूति हित, चाहे ऐसा प्रतिभूति हित अचल, चल, मूर्त या अमूर्त संपत्ति पर हो, और चाहे वह बंधक, दृष्टिबंधक, गिरवी, ग्रहणाधिकार या किसी अन्य रूप या सुरक्षा हित के सृजन के रूप में हो, और सभी गारंटियां, आश्वासन पत्र, साख पत्र या इसी तरह के लिखत हस्तांतरणकर्ता बैंक के पक्ष में या उसके लाभ के लिए, बिना किसी और अधिनियम, विलेख, लिखत या मद के, उसको हस्तांतरित और निहित किया जाएगा या हस्तांतरिती बैंक में हस्तांतरित और निहित माना जाता है और पूरी तरह से और प्रभावी रूप से जारी रहेगा और इसे पूरी तरह और प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है जैसे कि हस्तांतरणकर्ता बैंक के बजाय, हस्तांतरिती बैंक लाभार्थी रहा हो या उसका एक पक्ष हो, और लाभ हस्तांतरिती बैंक को उपलब्ध होगा जैसे कि वह शुरू से ही हस्तांतरिती बैंक के पक्ष में बनाया गया था और किसी भी क्षमता के किसी भी संबन्धित व्यक्ति से सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा या उस व्यक्ति की जिसने इस उप-पैराग्राफ के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए ऐसी सुरक्षा बनाई है।

(v) जहां तक विभिन्न प्रोत्साहन, सब्सिडी, छूट, जिसमें माल और सेवा कर लाभ, आयकर अवकाश या लाभ या हानि और अन्य लाभ या छूट या विशेषाधिकार जो हस्तांतरणकर्ता बैंक द्वारा लाभ उठाए या प्राप्त किए गए हैं, उसको बिना किसी कार्य या विलेख के उसी नियम और शर्तों पर हस्तांतरिती बैंक के साथ निहित और उपलब्ध रहेंगे जैसे कि उसे हस्तांतरिती बैंक को आबंटित या प्रदत्त या स्वीकृत या अनुमति दी गई थी।

4. हस्तांतरणकर्ता बैंक की बहियों को बंद करना और तुलन-पत्र तैयार करना:

(i) 22 नवंबर, 2021 को कारोबार की समाप्ति पर हस्तांतरणकर्ता बैंक की बहियों को बंद, और संतुलित और तुलन-पत्र तैयार की जाएगी और उसके बाद नियत तारीख से ठीक पहले की तारीख को कारोबार की समाप्ति पर तुलन-पत्र की लेखापरीक्षा की जाएगी और चार्टर्ड एकाउंटेंट या इस उद्देश्य के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(ii) पूर्वगामी पैराग्राफ के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हस्तांतरणकर्ता बैंक के तुलन-पत्र की एक प्रति, प्राप्त होने के बाद जितनी जल्दी हो सके, हस्तांतरिती बैंक द्वारा सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास दायर की जाएगी और तत्पश्चात, हस्तांतरणकर्ता बैंक को तुलन-पत्र या लाभ या हानि खाता तैयार करने या उसको अपने सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करने या सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के समक्ष प्रतियाँ फाइल करने या तुलन-पत्र या खातों पर चर्चा करने के प्रयोजन के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए बोर्ड की बैठक या वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने या बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है।

5. आस्तियों का मूल्यांकन और देयताओं का निर्धारण:

(i) हस्तांतरिती बैंक निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार आस्तियों का मूल्यांकन करेगा और हस्तांतरणकर्ता बैंक की देनदारियों की गणना करेगा; जैसे: -

(क) सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा अन्य निवेशों का मूल्यांकन नियत तारीख से ठीक पहले के दिन पर प्रचलित बाजार दरों पर किया जाएगा;

(ख) (I) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्तमान रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार नियत तारीख से ठीक पहले वाले दिन पर प्रचलित दरों पर किया जाएगा।

(II) डाकघर प्रमाण पत्र, ट्रेजरी बचत जमा प्रमाण पत्र और केंद्र सरकार की लघु बचत योजनाओं के तहत जारी किसी भी अन्य प्रतिभूतियों या प्रमाण पत्र जैसे केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन उनके अंकित मूल्य या उक्त तिथि को भुनाए जाने योग्य मूल्य, जो भी अधिक हो, पर किया जाएगा;

)III) जहां अंतरणकर्ता बैंक द्वारा धारित किसी सरकारी प्रतिभूति का बाजार मूल्य, जिसके संबंध में मूलधन किश्तों में देय है, सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है या किसी कारण से उसके उचित मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करता है या अन्यथा उपयुक्त नहीं माना जाता है, वहां मूलधन की किश्तों और भुगतान किए जाने के लिए शेष ब्याज की वह अवधि जिसके दौरान ऐसी किश्तें देय हैं, सरकार द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति की उपज जिससे प्रतिभूति संबंधित है और जिसकी समान या लगभग समान परिपक्वता हो तथा अन्य प्रासंगिक कारकों पर प्रतिभूति की उचित राशि मूल्यांकित की जाएगी।;

(ग) जहां किसी भी प्रतिभूति, शेयर, डिबेंचर, बांड या अन्य निवेश का बाजार मूल्य असामान्य कारकों से प्रभावित होने के कारण उचित नहीं माना जाता है वहां निवेश का मूल्यांकन किसी भी उचित अवधि में औसत बाजार मूल्य के आधार पर किया जा सकता है;

(घ) जहां किसी भी प्रतिभूति, शेयर, डिबेंचर, बांड या अन्य निवेशों का बाजार मूल्य पता लगाने योग्य नहीं है, केवल उसी मूल्य, यदि कोई हो, को जारी करने वाले संस्थान की वित्तीय स्थिति, पिछले पांच वर्षों के दौरान इसके द्वारा भुगतान किए गए लाभांश और अन्य प्रासंगिक कारक को ध्यान में रखते हुए उचित माना जाएगा।;

(ङ) परिसर और अन्य सभी अचल संपत्तियों और दावों की संतुष्टि में अधिग्रहित किसी भी आस्तियों का मूल्यांकन उनके बाजार मूल्य पर किया जाएगा;

(च) फर्नीचर और फिक्स्चर, स्टॉक में स्टेशनरी और अन्य आस्तियां, यदि कोई हो, का मूल्यांकन बहियों या वसूली योग्य मूल्य के अनुसार लिखित मूल्य, जो भी उचित समझा जाए पर किया जाएगा;

(छ) अग्रिम, खरीदे गए और भुनाए गए बिल, बही ऋण, विविध संपत्ति, और अन्य सभी शेष मूर्त/अमूर्त आस्तियों की जांच हस्तांतरिती बैंक और प्रतिभूतियों द्वारा की जाएगी, जिसमें उनके लिए कवर के रूप में रखी गई गारंटियां भी शामिल हैं, जिनकी जांच और सत्यापन हस्तांतरिती बैंक द्वारा किया जाएगा। इसके बाद, अग्रिमों को उनके भागों सहित, दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात् " उपयुक्त और आसानी से वसूली योग्य अग्रिम " और "आसानी से वसूली योग्य नहीं माना जाने वाला और / अथवा अशोध्य या संदिग्धपूर्ण वसूली अग्रिम"।

)ii) हस्तांतरिती बैंक नियत तारीख को "आस्तियां खाता" के रूप में एक खाता खोलेगा, जिसमें इस पैराग्राफ के अनुसार आसानी से वसूली योग्य संपत्ति के रूप में निर्धारित संपत्ति का मूल्य दर्शानेवाली कुल राशि जमा की जाएगी।

)iii) (क) जहां किसी आस्तियों का मूल्यांकन नियत तारीख पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसे रिजर्व बैंक के अनुमोदन बाद की तारीख में वसूली योग्य संपत्ति के रूप में आंशिक या पूर्ण रूप से माना जा सकता है;

)ख) किसी आस्तियों के मूल्यांकन और/या किसी अग्रिम के वर्गीकरण और/या किसी देयता के निर्धारण के संबंध में किसी भी असहमति की स्थिति में यह मामला रिजर्व बैंक को उसकी राय के लिए भेजा जाएगा, बशर्ते कि जब तक ऐसी राय प्राप्त होती है, तो हस्तांतरिती बैंक द्वारा वस्तु या उसके हिस्से का मूल्यांकन योजना के प्रयोजन के लिए अनंतिम रूप से अपनाया जाएगा;

)ग) आस्तियों या निर्धारण की किसी भी ऐसी वस्तु के मूल्यांकन के संबंध में ऐसा करना आवश्यक होने व रिज़र्व बैंक ऐसी तकनीकी सलाह लेने में सक्षम होने, जो भी उचित समझा जाए, की स्थिति में, ऐसी किसी भी देनदारी की मद और ऐसी सूचना प्राप्त करने की लागत हस्तांतरणकर्ता बैंक की संपत्ति में से पूरी तरह से देय होगी।

)iv) योजना के प्रयोजनों के लिए देनदारियों में आकस्मिक देनदारियों सहित सभी देनदारियां शामिल होंगी, जिन्हें नियत तारीख को या उसके बाद हस्तांतरिती बैंक को अपने स्वयं के संसाधनों से पूरा करने की आवश्यकता होगी। हस्तांतरिती बैंक की बहियों में प्रारंभिक मान्यता के लिए देनदारियों के मूल्य (बीमाकृत जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए डीआईसीजीसी के प्रति देयता सहित) का निर्धारण करने में, मापदंड आधार रिजर्व बैंक द्वारा तय किया जा सकता है और इसमें ऐतिहासिक लागत, वर्तमान लागत, निपटान मूल्य, वर्तमान मूल्य या कोई अन्य माप आधार शामिल हो सकता है।

)v) पूर्वगामी प्रावधानों के अनुसार आस्तियों का मूल्यांकन और देनदारियों का निर्धारण दोनों बैंकों के सदस्यों और लेनदारों सहित सभी संबंधितों पर बाध्यकारी होगा।

अध्याय - III
लेनदारों और जमाकर्ताओं को भुगतान

6. अंतरणकर्ता बैंक की देयता का निर्वहन:

)i) के संबंध में: -

)क) हस्तांतरणकर्ता बैंक के किसी भी कर्मचारी द्वारा स्टाफ सुरक्षा जमा के रूप में उस बैंक के साथ जमा की गई राशि, यदि कोई हो तो निर्धारित तिथि तक उस पर उपचय ब्याज के साथ उसका भुगतान किया जाएगा, यदि स्टाफ ने हस्तांतरिती बैंक की सेवाएं जारी रखने से मना किया हो अन्यथा उक्त राशि का पूर्ण रूप से प्रावधान करना होगा ;

)ख) प्रत्येक बचत बैंक खाता या चालू खाता या कोई अन्य जमा खाता जिसमें सावधि जमा, नकद प्रमाण पत्र, मासिक जमा, कॉल या शॉर्ट नोटिस पर देय जमा या कोई भी अन्य जमा जिसे हस्तांतरणकर्ता बैंक में किसी भी नाम से जाना जाता है तो हस्तांतरिती बैंक नियत तारीख को अपने पास संबंधित खाताधारक (धारकों) के नाम पर उसके अनुरूप और उसप्रकार का खाता खोलें, जिसमें 31 मार्च, 2021 तक अर्जित ब्याज सहित पूरी राशि जमा की जाए;

बशर्ते कि जहां हस्तांतरिती बैंक किसी विशेष खाते में की गई प्रविष्टियों की परिशुद्धता के बारे में यथोचित संदेह रखता है, वह रिजर्व बैंक के अनुमोदन से, उस खाते में किए जाने वाले क्रेडिट को नियत तारीख से तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए रोक सकता है, जिसके भीतर, हस्तांतरिती बैंक ऐसे खाते में योग्य शेष राशि का पता लगाएगा।

)ग) हस्तांतरिती बैंक भुगतान करेगा –

)I) हस्तांतरणकर्ता बैंक के सभी पात्र जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी से प्राप्त राशि, जो उनके जमा खातों में शेष राशि के बराबर होगी या रु.5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र), जो भी कम हो, के अनुसार ऐसी राशियों के वितरण के नियमों के अनुसार;
)II) केवल मांग पर अंतरणकर्ता बैंक के खुदरा जमाकर्ताओं के लिए नियत तारीख से दो वर्ष के अंत में, पहले से किए गए भुगतान के अलावा, उनके जमा खाते में शेष राशि के बराबर अतिरिक्त राशि या 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये केवल), जो भी कम हो,
)III) नियत तिथि से तीन वर्ष के अंत में, पहले से किए गए भुगतानों के अलावा, उनके जमा खाते में शेष राशि के बराबर अतिरिक्त राशि या रु.1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र), जो भी कम हो, केवल अंतरणकर्ता बैंक के खुदरा जमाकर्ताओं की मांग पर,
)IV) केवल हस्तांतरणकर्ता बैंक के खुदरा जमाकर्ताओं की मांग पर नियत तिथि से चार वर्ष के अंत में, पहले से किए गए भुगतान के अतिरिक्त, उनके जमा खाते में शेष राशि तक अतिरिक्त राशि या रु.3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र), जो भी कम हो ।
)V) केवल हस्तांतरणकर्ता बैंक के खुदरा जमाकर्ताओं की मांग पर नियत तिथि से पांच वर्ष के अंत में, पहले से किए गए भुगतान के अतिरिक्त, उनके जमा खाते में शेष राशि तक अतिरिक्त राशि या रु.5,50,000 (रुपये पांच लाख पचास हजार मात्र), जो भी कम हो ।
)VI) मांग पर, हस्तांतरणकर्ता बैंक के खुदरा जमाकर्ताओं के खातों में जमाराशियों की पूरी शेष राशि (उपरोक्त खंड (I), (II), (III), (IV) और (V) में उल्लिखित अनुसार भुगतान करने के बाद नियत तारीख से 10 वर्षों के बाद।

)घ) हस्तांतरणकर्ता बैंक के पास किसी भी ब्याज वाली जमाराशियों पर ब्याज 31 मार्च, 2021 के बाद नीचे दिए गए तरीके को छोड़कर अर्जित नहीं होगा।

नियत तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अंतरणकर्ता बैंक की ब्याज युक्त जमाराशियों पर आगे कोई ब्याज देय नहीं होगा। किसी भी चालू खाते या किसी अन्य गैर-ब्याज वाले खाते में शेष राशि के संबंध में, खाताधारकों को कोई ब्याज देय नहीं होगा,

बशर्ते हस्तांतरणकर्ता बैंक की खुदरा जमाराशियों पर 2.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा जो नियत तारीख से उक्त पांच वर्ष की अवधि के बाद बकाया रहेगा। यह ब्याज नियत तारीख से पांच वर्ष बाद की तारीख से देय होगा।

)ड़) नियत तारीख को और नियत तारीख से, हस्तांतरणकर्ता बैंक के प्रत्येक संस्थागत जमाकर्ता के क्रेडिट में बकाया (विभिन्न खातों में कुल) का 80 प्रतिशत बकाया हस्तांतरणकर्ता बैंक के गैर-संचयी वरीयता शेयरों (पीएनसीपीएस) में, प्रतिवर्ष एक प्रतिशत देय लाभांश के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।

नियत तारीख से दस वर्षों के बाद, हस्तांतरिती बैंक ऐसे पीएनसीपीएस धारकों के लिए रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने पर कूपन दर में एक स्टेप अप या कॉल विकल्प प्रदान करने के रूप में अतिरिक्त लाभों पर विचार कर सकता है।

(च) संस्थागत जमाराशियों की शेष 20 प्रतिशत राशि को 1 रुपये प्रति वारंट की कीमत पर हस्तांतरिती बैंक के इक्विटी वारंट में परिवर्तित किया जाएगा। इन इक्विटी वारंटों को आगे हस्तांतरिती बैंक के इक्विटी शेयरों में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के समय में परिवर्तित किया जाएगा जब हस्तांतरिती बैंक सार्वजनिक इश्यु लाएगा। ऐसे रूपांतरण की कीमत आईपीओ मूल्य के निचले बैंड पर निर्धारित की जाएगी।

)ii) ह्स्तांरणकर्ता बैंक की प्रत्येक अन्य देयता के संबंध में, हस्तांतरिती बैंक नियत तारीख या शर्तों से पहले उनके बीच किए गए समझौतों के अनुसार जब भी वे देय हों, और शर्तों पर सहमति बनें तो लेनदारों को केवल मूल राशि का भुगतान करेगा ।

)iii) इस अनुच्छेद के तहत देनदारियों को पूरा करने के लिए आवश्यक सीमा तक "आस्तियां खाते" में जमा

शेष राशि को विनियोजित किया जाएगा और यदि आस्तियां खाते में शेष राशि पर्याप्त नहीं है, तो उस शॉर्टफॉल को हस्तांतरिती बैंक द्वारा खर्च की गई राशि के रूप में माना जाएगा ।

अध्याय - IV
समामेलन की प्रक्रिया के लिए डीआईसीजीसी का समर्थन

7. जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) हस्तांतरिती बैंक को जमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम 47), और उसके अधीन बनाए गए विनियम के प्रावधानों के अनुसार हस्तांतरणकर्ता बैंक के पात्र जमाकर्ताओं (नियत तारीख पर) को बकाया राशि का भुगतान करेगा।

8. जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम 47) या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून में निहित कुछ भी होने के बावजूद, अंतरिती बैंक के पास बीमित जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए डीआईसीजीसी से प्राप्त राशि, जो एक किस्त में या कई किश्तों में की जा सकती है के लिए नियत तारीख से 20 वर्ष तक का समय होगा। । इस योजना के प्रावधानों के अनुसार डीआईसीजीसी के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने के उद्देश्य से हस्तांतरिती बैंक अपनी बहियों में एक आरक्षित खाता बनाएगा और रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित समय-समय पर उसमें हस्तांतरण करेगा।

अध्याय – V

हस्तांतरणकर्ता बैंक के सदस्यों और लेनदारों के अधिकार और देनदारियां

9. हस्तांतरणकर्ता बैंक के सदस्यों और लेनदारों के अधिकार और दायित्व:

)i) नियत तारीख को और उसके बाद से, चूकता शेयर पूंजी और भंडार की पूरी राशि और हस्तांतरणकर्ता बैंक के अधिशेष को बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।
)ii) नियत तारीख को और उसके बाद से, हस्तांतरणकर्ता बैंक की दीर्घावधि जमाओं (टियर II कैपिटल इंस्ट्रूमेंट) में बकाया पूरी राशि को पीएनसीपीएस में परिवर्तित कर दिया जाएगा और उसे इस योजना की धारा 6 (1) (ई) में उल्लिखित निरूपण दिया जाएगा।
)iii) नियत तारीख को और नियत तारीख से, योजना के संचालन से हस्तांतरणकर्ता बैंक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

अध्याय – VI

हस्तांतरणकर्ता बैंक के कर्मचारियों के अधिकार और दायित्व

10. हस्तांतरणकर्ता बैंक के कर्मचारियों के अधिकार और दायित्व

i. अंतरणकर्ता बैंक के सभी कर्मचारी नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए उसी पारिश्रमिक और सेवा के नियमों और शर्तों पर सेवा में बने रहेंगे, जैसा कि नियत तारीख पर कारोबार की समाप्ति से ठीक पहले ऐसे कर्मचारियों पर लागू था।

बशर्ते कि हस्तांतरणकर्ता बैंक के कर्मचारी, जिन्होंने लिखित रूप में नोटिस द्वारा, नियत तारीख के अगले एक महीने की समाप्ति से पहले किसी भी समय हस्तांतरणकर्ता बैंक या हस्तांतरिती बैंक को सूचित किया है कि उनका हस्तांतरिती बैंक के कर्मचारी नहीं बनने का कोई इरादा नहीं है, वे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के प्रावधानों के तहत इस तरह के मुआवजे, यदि कोई हो, और ऐसे पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के हकदार होंगे जो नियमों के तहत सामान्य रूप से

स्वीकार्य हो सकते हैं या नियत तारीख पर कारोबार की समाप्ति से ठीक पहले लागू होने वाले हस्तांतरणकर्ता बैंक के प्राधिकरण के अंतर्गत सामान्य रुप से स्वीकार किए जा सकते है।

बशर्ते यह भी कि हस्तांतरिती बैंक, नियत तारीख के बाद किसी भी समय नियत प्रक्रिया का पालन करने के बाद, जैसा कि आवश्यक समझे, हस्तांतरणकर्ता बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की सेवाओं को बंद कर सकता है और उन्हें उनके रोजगार की शर्तों के अनुसार मुआवजा प्रदान कर सकता है।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक" शब्द का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिया गया है और यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या कोई विशेष पद जो अलग-अलग नामित हो उस श्रेणी के अंतर्गत आता है या नहीं, तो उस स्थिति में मामला रिजर्व बैंक को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा और सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

ii. हस्तांतरिती बैंक उक्त कर्मचारियों को तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद, वही पारिश्रमिक और सेवा के समान नियम और शर्तें, जो इस तरह के भुगतान या अनुदान के समय हस्तांतरिती बैंक की स्थिति या तदनुरूपी रैंक के अन्य कर्मचारियों पर लागू होती हैं का भुगतान करेगा या मान्यता देगा, बशर्ते कि उक्त कर्मचारियों की योग्यताएं और अनुभव हस्तांतरिती बैंक के ऐसे अन्य कर्मचारियों के समान या समकक्ष हों।

iii. हस्तांतरिती बैंक, हस्तांतरणकर्ता बैंक के कर्मचारी के संबंध में, जिन्हें ह्स्तांतरिती बैंक के कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया गया माना जाता है, यह भी समझा जाएगा कि उनके द्वारा छटनी की स्थिति में छटनी मुआवजे की देनदारियों को इस आधार पर कि उनकी सेवा निरंतर रही है और हस्तांतरिती बैंक में उनके स्थानांतरण से बाधित नहीं हुई है, उन्हें हस्तांतरिती बैंक में ले लिया गया है।

iv. हस्तांतरणकर्ता बैंक के कर्मचारियों के लिए गठित किसी भी भविष्य निधि और उपदान निधि के न्यासी या प्रशासक, या जैसा भी मामला हो, हस्तांतरणकर्ता बैंक, नियत तारीख को या उसके बाद जितनी जल्दी हो सके कर्मचारियों के न्यासियों को हस्तांतरिती बैंक के लिए गठित भविष्य निधि और ग्रेच्युटी फंड को स्थानांतरित कर देगा या अन्यथा जैसा कि हस्तांतरिती बैंक, हस्तांतरणकर्ता बैंक के कर्मचारियों के लाभ के लिए ट्रस्ट में रखे गए सभी धन और निवेशों को निदेशित कर सकता है।

बशर्ते कि ऐसे बाद के न्यासी, निवेश के मूल्य में किसी भी कमी के लिए या योजना के प्रारंभ होने की तारीख से पहले किए गए किसी भी कार्य, उपेक्षा या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

अध्याय - VII
विविध

11. जमाकर्ताओं या लेनदारों द्वारा मांग:

हस्तांतरणकर्ता बैंक का कोई भी जमाकर्ता या लेनदार योजना द्वारा निर्दिष्ट सीमा को छोड़कर हस्तांतरणकर्ता बैंक की किसी भी देयता के संबंध में हस्तांतरणकर्ता बैंक या हस्तांतरिती बैंक के खिलाफ कोई मांग करने का हकदार नहीं होगा।

12. केंद्र सरकार, रिज़र्व बैंक, हस्तांतरिती बैंक या हस्तांतरणकर्ता बैंक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही:
योजना के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी भी कार्य के लिए केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक या हस्तांतरिती बैंक या हस्तांतरणकर्ता बैंक के खिलाफ कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।

13. हस्तांतरणकर्ता बैंक की शाखाओं का पुनर्गठन:

हस्तांतरिती बैंक के पास अपनी सुविधा के अनुसार हस्तांतरणकर्ता बैंक की शाखाओं का विलय करने का विकल्प होगा और वह रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा निर्देशों के अनुसार हस्तांतरणकर्ता बैंक की मौजूदा शाखाओं को बंद या स्थानांतरित कर सकता है।

14. विवरण और जानकारी प्रस्तुत करना:
हस्तांतरिती बैंक रिज़र्व बैंक को ऐसे विवरण और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर योजना के कार्यान्वियन के संबंध में अपेक्षित हो।

15. नोटिस दिए जाने का तरीका:

हस्तांतरिती बैंक द्वारा दिए जाने के लिए आवश्यक कोई भी नोटिस या अन्य पत्राचार यदि नियत पता या अन्य पता जो हस्तांतरणकर्ता बैंक की पुस्तकों में पंजीकृत पर भेजा गया हो, जब तक कि हस्तांतरिती बैंक की पुस्तकों में नया पता पंजीकृत नहीं हो जाता उस पते पर स्पीड पोस्ट या कूरियर या प्री-पेड साधारण डाक द्वारा या ई-मेल द्वारा भेजा गया हो तो वह विधिवत रूप से भेजा गया माना जाएगा । इसके अतिरिक्त, कोई भी नोटिस या पत्राचार, जो सार्वजनिक हित में है, एक या अधिक दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाएगा, जो उन स्थानों पर प्रचलन में हो जहां हस्तांतरणकर्ता बैंक का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

16. योजना के प्रावधानों की व्याख्या:
यदि इस योजना के प्रावधानों की व्याख्या में कोई शंका उत्पन्न होती है, तो मामला रिजर्व बैंक को भेजा जाएगा और इस मुद्दे पर उसके विचार अंतिम और सभी संबंधितों के लिए बाध्यकारी होंगे।

) (
संयुक्त सचिव, भारत सरकार